दिनांक 05.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 10/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जारचा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04/05.03.2025 को थाना जारचा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तेल मिल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सागर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जारचा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जारचा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सागर निवासी ग्राम गेसुपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.03.2025 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ताहिरपुर कट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना शालीमार गार्डन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपू निवासी ग्राम पैराकला थाना कछौनी जनपद हरदोई, हालपता टीडीआई टस्कन सिटी कुण्डली सोनीपत हरियाणा।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 59 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना सिकन्दरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शास्त्रीपुरम गोल चक्कर चौराहा के पास से अभियुक्त प्रशान्त को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं एक बाल अपचारी को बाल संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 59 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.03.2025 को थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रशान्त निवासी ग्राम गुलखेडी थाना बोडा जनपद रायगढ़ मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 59 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **11 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 20 सिलाई मशीन, 01 एसी, 01 इन्वर्टर बैट्रा आदि**
- **चोरी के माल बिक्री के 12 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.03.2025 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वैट नहर पटरी के पास से 11 अभियुक्तों 1–तालिब 2–धर्मेन्द्र 3–अनीश 4–फकरूद्दीन 5–सोएब 6–शादाब 7–राशिद 8–अब्दुल खालिद 9–नोमान 10–अशरफ 11–रोशन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 20 सिलाई मशीन, 01 एसी, 01 इन्वर्टर बैट्रा आदि, चोरी के माल बिक्री के 12 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सिम्भावली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सिलाई मशीन, इन्वर्टर, बैट्रा, एसी, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तालिब निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ, हालपता ग्राम पाली सादकपुर थाना टोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम औरंगाबाद वाहपुर थाना आहार जनपद बुलन्दशहर।

3–अनीश निवासी भूड बराल थाना परतापुर जनपद मेरठ, हालपता मयूर विहार लाईनपार डासना थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–फकरूद्दीन निवासी टोडी नंगला थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

5–सोएब निवासी रफीकाबाद कस्बा डासना थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

6–शादाब निवासी मोहल्ला गढ़ थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

7–राशिद निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

8–अब्दुल खालिद निवासी मयूर विहार कस्बा डासना थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

9–नोमान निवासी रूप नगर थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

10–अशरफ निवासी कस्बा डासना थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

11–रोशन निवासी ग्राम पाहिया खरवार थाना लाखनौर जनपद मधुबनी बिहार, हालपता ग्राम देवला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 20 सिलाई मशीन, 01 एसी, 01 इन्वर्टर बैट्रा आदि।

2–चोरी के माल बिक्री के 12 हजार रूपये नगद।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद प्रतापगढ़/थाना कोतवाली देहात

- **11 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन**
- **चोरी की 04 बैट्री आदि बरामद**

दिनांक 05.03.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बढ़नी मोड़ के पास से 11 अभियुक्तों 1—विनय 2—शुभम उर्फ नान 3—अमन 4—आदित्य उर्फ अंकुर उर्फ डेंजर 5—आकाश 6—अंकुर 7—जसवंत 8—इमरान 9—बादशाह 10—विपिन 11—करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, चोरी की 04 बैट्री आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनय निवासी मना का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2—शुभम उर्फ नान निवासी सुल्तानपुरी मंगोलपुरी नई दिल्ली, हालपता घीसा का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

3—अमन निवासी घीसा का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

4—आदित्य उर्फ अंकुर उर्फ डेंजर निवासी ढ़ेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

5—आकाश निवासी ढ़ेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

6—अंकुर निवासी पूरे खुशई थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

7—जसवंत निवासी खूंटाघाट महकनी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

8—इमरान निवासी रानीगंज अजगरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

9—बादशाह निवासी रानीगंज अजगरा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

10—विपिन निवासी फूलपुर नेवादा थाना बहरिया प्रयागराज, हालपता मना का पुरवा भुवालपुर डोमिपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

11–करन निवासी मना का पुरवा भुवालपुर डोमिपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

2–चोरी की 04 बैट्री आदि।

<u>जनपद बहराइच/थाना रूपईडीहा</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 900 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 04.03.2025 को थाना रूपईडीहा व एसएसबी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एसएसबी चेकपोस्ट के पास से अभियुक्त गोरेघर्ति मगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रूपईडीहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– गोरेघर्ति मगर निवासी उवा वार्ड नं0–7 पालिका थवंग जनपद रोलपा नेपाल।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 09 किलो 900 ग्राम अवैध चरस।

➢ **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना त्रिलोकपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना त्रिलोकपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामराज को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना हसनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को 20 वर्ष के कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कमल को 10 वर्ष के कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————